भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1911
(01 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पश्चिम बंगाल में विकासात्मक परियोजनाएं

1911. श्री राजू बिष्टः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत सात वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम/ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, कस्बों और पंचायतों के गांवों को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, विशेष रूप से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में दी गई और आवंटित कुल निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

ग्रामीण विकास मंत्रालय , पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास करने हेतु अनेक योजनाएं अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) , प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) , ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) कार्यान्वित कर रहा है।
एसपीएमआरएम को वित्तीय वर्ष 2023-24 से बंद कर दिया गया है और इसे पश्चिम बंगाल

राज्य में कार्यन्वित नहीं किया गया है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत , जिला स्तर या उससे नीचे के स्तर पर अनुदान और निधि का आवंटन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और इससे संबंधित आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं। तथापि वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक पिछले सात वित्तीय वर्षों में इस मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1911 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले सात वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी की गई निधियां

(क) ग्रामीण विकास विभाग

पिछले सात वित्तीय वर्षों में 2016-17 से 2022-23 तक ग्रामीण विभाग विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	उत्तर प्रदेश	10,038	10,773	8,645	9,132	17,152	17,075	20,590
2	मध्य प्रदेश	8,264	10,785	10,402	9,441	13,925	15,389	15,293
3	पश्चिम बंगाल	8,820	11,053	12,729	13,976	17,745	9,278	1,611
4	बिहार	8,236	4,865	7,225	7,494	11,934	11,330	18,140
5	तमिलनाडु	6,157	7,539	6,996	7,207	10,123	11,963	13,395
6	राजस्थान	6,508	8,370	7,690	9,478	10,478	12,628	13,075
7	आंध्र प्रदेश	4,913	5,939	7,680	8,380	11,060	7,651	9,259
8	तेलंगाना	2,656	6,404	7,895	7,552	11,146	9,903	9,094
9	ओडिशा	6,477	7,239	7,131	5,993	10,322	8,490	9,053
10	असम	2,525	3,306	4,343	5,878	7,338	10,274	12,708
11	कर्नाटक	3,580	4,030	3,944	7,052	6,638	7,589	8,011
12	छत्तीसगढ़	4,069	5,556	5,907	5,577	5,650	4,995	5,349
13	महाराष्ट्र	3,409	3,290	4,250	5,284	4,869	5,312	7,343
14	झारखंड	3,868	4,372	4,049	3,684	5,525	5,205	5,242
15	केरल	2,506	2,430	3,023	3,787	5,027	3,674	4,186
17	दिल्ली	118	169	1,020	2,812	3,947	5,706	6,700

18	जम्मू और कश्मीर	1,732	2,883	1,731	2,181	3,687	2,569	2,957
19	गुजरात	1,283	1,171	1,644	1,556	2,107	2,785	3,312
20	त्रिपुरा	1,692	827	693	1,168	1,594	2,559	2,685
21	उत्तराखंड	1,265	1,527	1,859	1,229	2,721	1,742	2,461
22	हिमाचल प्रदेश	923	1,111	1,558	1,996	1,807	1,592	1,953
23	मेघालय	1,190	1,042	1,214	1,520	1,990	1,792	1,851
24	अरुणाचल प्रदेश	444	957	1,606	1,399	1,389	1,701	1,773
25	पंजाब	991	1,017	671	943	1,440	1,433	1,593
26	मणिपुर	852	504	649	995	1,879	1,358	2,072
27	हरियाणा	610	471	585	575	943	1,112	967
28	नागालैंड	618	1,157	458	555	717	803	1,267
29	मिजोरम	309	456	569	1,203	707	708	1,221
30	सिक्किम	296	455	314	128	337	238	399
31	पुद्दुचेरी	16	38	37	45	51	36	79
32	लद्दाख	0	0	0	0	23	42	42
33	गोवा	15	4	3	5	9	4	14

(ख) भूमि संसाधन विभाग

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा								
क्र.सं.	**राज्य**	**डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0**					**डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0**	
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	आंध्र प्रदेश	120.96	123.35	139.15	144.39	43.89	45.74	42.11
2	अरुणाचल प्रदेश	23.12	9.62	19.17	55.71	5.8	22.98	70.08
3	असम	0	65.09	66.55	49.03	169.26	16.48	54.02
4	बिहार	28.26	19.21	46.77	88.37		112.94	
5	छत्तीसगढ़	34.96	33.45	57.03	47.07		23.01	40.29

6	गोवा						2.1	
7	गुजरात	115.04	87.51	151.84	77.93		25.79	51.32
8	हरियाणा	12.82	10.94	10	7.13	13.68	3.02	3.02
9	हिमाचल प्रदेश	35.4	26.83	24.04	66.87		8.5	12.86
10	जम्मू और कश्मीर	25.59	43.66	71.87	0	91.21	11.87	9.53
11	लद्दाख	0	0	0	0	6.15		3.8
12	झारखंड	17.68		28.83	36.77	41.92	27.28	23.18
13	कर्नाटक	145.72	175.69	101.07	21.76	6.16	119.83	96.96
14	केरल	16.62	17.83	13.06	48.77		13.24	0
15	मध्य प्रदेश	129.44	134.84	162.41	221.278	84.9	75.03	257.62
16	महाराष्ट्र	186.95	279.21	163.33	103		50.084	108.55
17	मणिपुर	11.29	13.84	14.14	1.46		9.24	
18	मेघालय	11.56	8.95	6.69	1.19		60.79	
19	मिजोरम	16.06	22.35	23.14	22.27		7.02	21.42
20	नागालैंड	60.84	32.08	38.51	137.55	3.53	13.63	12.88
21	ओडिशा	91.99	94.48	102.17	83.11	1.75	123.18	45.39
22	पंजाब	0	7.96	0			3.03	5.3
23	राजस्थान	199.35	243.59	299	119.43	449.89	282.56	0
24	सिक्किम	0	1.4	0	2		3.15	5.51
25	तमिलनाडु	62.36	82.75	90.59			10.75	42.84
26	तेलंगाना		51.14	81.93	33.5	60.34	27.6	38.36
27	त्रिपुरा	27.12	16.66	15.89	10.75	11.74	20.3	0
28	उत्तर प्रदेश	58.38	63.93	0			21.78	0
29	उत्तराखंड	16.15	9.97	6.98			11.06	19.5
30	पश्चिम बंगाल	24.06	15.48	46.39	92.87		13.14	22.74
	कुल योग	**1471.72**	**1691.81**	**1780.55**	**1472.33**	**990.22**	**1165.17**	**987.27**

*****